भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 5332**

उत्तर देने की तारीख 5 अप्रैल, 2022

15 चैत्र, 1944 (शक)

# पैरालंपिक खेल

**5332. श्री के. सुब्बारायण:**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि चूंकि भारत ने पिछले वर्ष के ओलंपिक खेलों की तुलना में पैरालंपिक खेलों में अधिक पदक जीते हैं तो इससे दिव्यांग एथलीटों को बढ़ावा देने के लिए और अधिक वित्तपोषण और खेल सुविधाओं का सृजन होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा की गई/की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री**

**(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)**

(क) और (ख): पैरा-एथलीटों को उनकी विशेष आवश्यकताओं के अलावा उन्हें अन्य खिलाड़ियों के समान सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की विभिन्न स्कीमों के तहत भारतीय पैरा-एथलीटों को सहायता प्रदान की जा रही है । पैरा-एथलीटों सहित अभिज्ञात उदीयमान खिलाड़ियों/टीमों को उनकी तैयारी के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें विदेशों में उनके प्रशिक्षण और भारत और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता के अलावा पौष्टिक आहार, उपकरण, अत्याधुनिक अवसंरचना, आवास, यात्रा सुविधाएं, ख्यातिप्राप्त भारतीय और विदेशी कोचों/सहायक कार्मिकों की सेवाएं, वैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता, खेल किट आदि शामिल हैं ।

सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिए पैरा खेलों को "प्राथमिकता" श्रेणी में रखा गया है और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार, पैरा-एथलीटों के प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धात्मक एक्सपोजर के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है ।

सभी साई स्टेडिया और प्रशिक्षण केंद्रों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया है और समय-समय पर इसका उन्नयन किया जाता है । साई के नेताजी सुभाष पश्चिमी केंद्र, गांधीनगर को दिव्यांग एथलीटों से संबंधित खेल कार्यकलापों के आयोजन के लिए मुख्य केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है जो इस प्रयोजन के लिए सुसज्जित है ।

टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के तहत प्रतिभावान एथलीटों का चयन किया जा रहा है और उन्हें आउट ऑफ पॉकेट भत्ता (ओपीए), उपकरण सहायता, कोच आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है । इन एथलीटों को उनके प्रदर्शन के नियमित मूल्यांकन के आधार पर टीओपीएस में बनाए रखा जा रहा है ।

खेलो इंडिया प्रतिभा पहचान स्कीम के तहत, प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया जाता है और मासिक ओपीए सहित उनके प्रशिक्षण, तैयारी के लिए सहायता प्रदान की जाती है ।

हाल ही में, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने एनएसएफ को सहायता स्कीम के तहत मानदंडों को संशोधित किया है और सहायता की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि की है ।

(ग) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता ।

*****